हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अपील संख्या 01/2020 बअनवान लूणकरण वगै. बनाम श्रीमती जेठीदेवी वगै.	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

आदेश

दिनांक 18.08.2022

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री विमलेशकुमार पुरोहित
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री राणीदान सेवक

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि श्री हिम्मतराम जी के तीन पुत्रों लीलाधर, जीवणलाल व लूणकरण भूतडा में से श्री लीलाधर हिम्मतरामजी के जीवनकाल में ही उनके परिवार से संवत 2004 में ही अलग हो गये थे। इसलिये तब से हिम्मतराम जी के परिवार से संवत 2004 में ही अलग हो गये थे। इसलिये तब सें हिम्मतराम जी के परिवार की संपत्ति में श्री लीलाधर का कोई हिस्सा नहीं रहा। इसके पश्चात हिम्मतराम जी के परिवार में श्री हिम्मतराम एवं उनके पुत्रों जीवनलाल व लूणकरण के मध्य दिनांक 02.07.1974 को एक पारिवारिक समझौता हुआ जिसमें वादग्रस्त आराजी अपीलार्थी लूणकरण के हक, हिस्सा, कब्जा काश्त में रखा जाना तय हुआ तब से इस आराजी पर अकेला अपीलार्थी लूणकरण ही कब्जा काश्त चला आया है, अन्य का कोई हक, हिस्सा या कब्जा काश्त नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा हस्तगत आवेदन में अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का रिकॉर्डेड खातेदार है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांटगण को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप-
ीलाधीन आराजी हिम्मतराम के खातेदारी में दर्ज थी। हिम्मतराम के तीन पुत्र थे। जीवनलाल का देहान्त 18.08.1973 को हो गया था। जीवणलाल की पत्नी सुरजदेवी का देहान्त 11.08.2008 को हो गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

था। जीवणलाल की जाईन्दा पुत्री जेठीदेवी ही है इसके अलावा कोई जाईन्दा संतान नहीं है। हिम्मताराम के देहान्त से पूर्व वादीनी के पिता जीवणलाल का देहान्त हो चुका था। हिम्मताराम के देहान्त के पश्चात राजस्व रेकर्ड में अपीलांट लूणकरण व रेसपोडेंट हीरादेवी के नाम का खातेदारी में दर्ज कर दिया गया, अन्य वारिसान के नाम छोड़ दिये गये जबकि पैतृक सम्पति में प्रार्थी/वादी का हक नियत है। रेसपोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा खातेदारी घोषणा का पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है उभयपक्षकारान के हितों का निर्धारण मूल दावे के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते रेस्पोडेंटस के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की उपस्थिति में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। दावे के विचारण में रहते अपीलाधीन आराजी की वर्तमान स्थिति में उभयपक्षकारान द्वारा फेर बदल किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांटगण के पक्ष में नहीं होकर रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश दिनांक 18.08.2022 को सुनाया गया।

(प्रशिष्ठा मिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर